



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं.: NCST/ATY-721/MP/4/2022-APCR

दिनांक :05/06/2023

प्रति


श्रीमती ज्ञानी बाई कॉल,
पत्नी श्री सुंदरलाल कॉल,
ग्राम - वार्ड नंबर 4, मझगवां,
पोस्ट - खलरी, थाना - सिहोरा,
तहसील - मझौली,
जिला - जबलपुर - 483336 (मध्य प्रदेश)

विषय : अधिवक्ता द्वारा जीवन बीमा से प्राप्त मुआवज़े के गबन के संबंध में - श्रीमती ज्ञानी बाई कॉल,
पत्नी श्री सुंदरलाल कॉल, ग्राम - वार्ड नंबर 4, मझगवां, तहसील - मझौली, पोस्ट - खलरी,
थाना - सिहोरा, जिला - जबलपुर, मध्य प्रदेश का अभ्यावेदन

महोदया,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि श्री अनंत नायक, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आपके प्रकरण में दिनांक **14-06-2023 समय 12:00 PM** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सभागार, छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सिटिंग निश्चित की है, जिसमें सम्बंधित अधिकारियों तथा आपके साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तिथि एवं समय की सिटिंग में आयोग में उपस्थित हों।


अंकित कुमार सेन
अनुसंधान अधिकारी